



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 20, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश	2
2. राज्य गीतों, राष्ट्रगान और राज्य स्वायत्तता पर न्यायिक प्रोटोकॉल	4
3. SEBI द्वारा निपटान विनियम ढांचे के प्रस्तावित पुनर्गठन का प्रस्ताव	5
4. संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के द्विपक्षीय वस्तु निर्यात में रुझान	7
5. मुद्रास्फीति का दबाव और RBI का मौद्रिक नीति रुख	8
6. शांति अधिनियम 2025 और भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी	10
7. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बजट प्रेस का स्थानांतरण	11
8. UNSC सीट के लिए भारत का फ़िलिस्तीन द्वारा समर्थन और द्विपक्षीय सहायता	13
9. फांसी द्वारा मृत्युदंड और गरिमा के अधिकार पर न्यायिक रुख	14
10. जाति जनगणना में कार्यप्रणाली (Methodology) और ऐतिहासिक चुनौतियाँ	16
11. भारत का आर्कटिक आख्यान और भू-राजनीतिक रणनीति	17
12. लोक व्यय प्रबंधन और राज्य वित्त में राजकोषीय अनुशासन	19



1. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रतिक्रिया के बजाय संस्थागतीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि NTA सुधार केवल परीक्षा पेपर लीक की त्वरित या तात्कालिक प्रतिक्रिया (knee-jerk responses) के रूप में कार्य करने के बजाय, स्थायी रूप से संस्थागत (institutionalised) और समय के साथ निरंतर बनाए रखने वाले होने चाहिए।
- **विशेषज्ञ समितियों की निरंतरता:** न्यायालय ने नई समितियां बनाते समय पिछली समितियों के निष्कर्षों को खारिज करने के खिलाफ चेतावनी दी और सिफारिशों के निर्बाध एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

- **तकनीकी समाधानों का एकीकरण:** तकनीकी सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाले कार्यबल (Task Force) के गठन को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने के. राधाकृष्णन समिति द्वारा सुझाए गए मूलभूत संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
- **प्रणालीगत कमजोरियों का समाधान:** मेडिकल एसोसिएशनों की याचिकाओं ने NEET-UG जैसी परीक्षाओं के संचालन में बार-बार होने वाली विफलताओं की ओर इशारा किया, जिसके लिए दीर्घकालिक संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता है।
- **नीतिगत निरंतरता:** न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि सुधार उपायों को जीवंत होना चाहिए और उत्तरवर्ती प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें निरंतर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- **बहु-स्तरीय शासन:** प्रभावी परीक्षा प्रबंधन के लिए संरचनात्मक प्रशासनिक सुधारों को उन्नत, लीक-प्रूफ तकनीकी समाधानों के साथ मिश्रित करने की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA):** उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित एक स्वायत्त, स्व-वित्तपोषित परीक्षण संगठन।
- **सुधारों का संस्थागतीकरण (Institutionalisation of Reforms):** अस्थायी तदर्थ (ad-hoc) उपायों पर निर्भर रहने के बजाय किसी एजेंसी के भीतर स्थायी नियमों, संरचित प्रोटोकॉल और प्रशासनिक तंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया।
- **प्रणालीगत विफलता (Systemic Failure):** प्रक्रियाओं या शासन व्यवस्था में एक ऐसी खराबी जो व्यापक है और परिचालन प्रणाली के भीतर अंतर्निहित है, न कि कोई अलग-थलग प्रशासनिक त्रुटि।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 14:** समानता के अधिकार की गारंटी देता है। पेपर लीक और अनुचित व्यवहार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए समान अवसर का उल्लंघन करते हैं।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को शामिल करता है, जिसका विस्तार युवाओं के लिए निष्पक्ष शिक्षा पहुंच और पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं तक है।
- **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** सार्वजनिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, धोखाधड़ी और कपटपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए अधिनियमित।
- **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860:** वह कानूनी ढांचा जिसके तहत NTA को एक स्वायत्त संस्था (society) के रूप में पंजीकृत किया गया था।

निष्कर्ष: मानक परीक्षण निकायों में सुधार के लिए मजबूत प्रशासनिक देखरेख के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी को संतुलित करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ समितियों के बीच नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा करता है, जिससे शैक्षणिक चयन प्रणालियों की योग्यता (meritocracy) में जनता का विश्वास बहाल होता है।

UPSC प्रासंगिकता

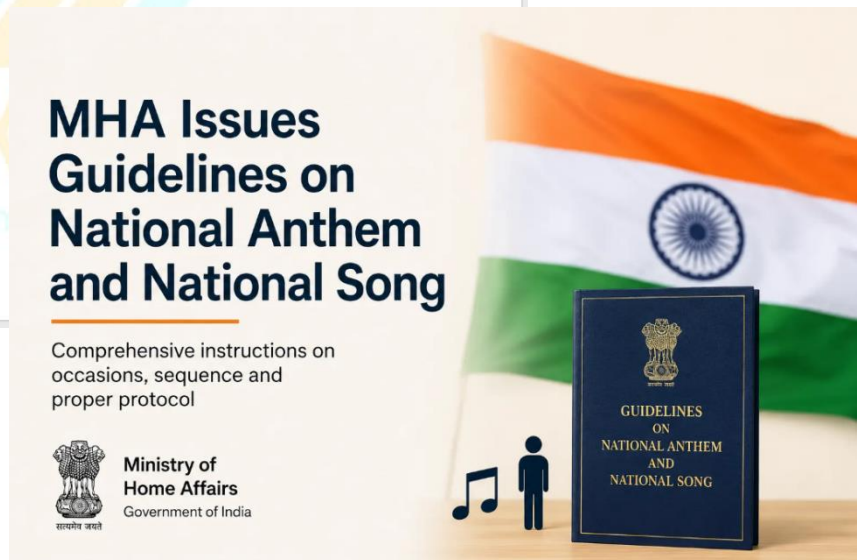
- **GS पेपर II:** शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, स्वायत्त निकायों की भूमिका (NTA), शैक्षणिक सुधारों के लिए तंत्र।
- **GS पेपर IV:** नीतिशास्त्र और मानवीय संबंध, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रतिस्पर्धी प्रणालियों में निष्पक्षता।

2. राज्य गीतों, राष्ट्रगान और राज्य स्वायत्तता पर न्यायिक प्रोटोकॉल

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **राज्य सरकारों को विशेषाधिकार:** मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय (MHA) ने आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान राज्य गीतों को प्रस्तुत करने के क्रम के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है।
- **जनहित याचिका (PIL) का निस्तारण:** मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली खंडपीठ ने 9 जुलाई, 2026 को जारी एक संशोधित गृह मंत्रालय के परिपत्र के बाद एक जनहित याचिका को निष्फल (infructuous) मानकर खारिज कर दिया।
- **गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का दायरा:** केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश मुख्य रूप से राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) और राष्ट्रगान के बीच के क्रम को विनियमित करते हैं जब वे एक साथ गाए जाते हैं, बिना राज्य गीतों के लिए विशिष्ट स्थानों को प्रतिबंधित या अनिवार्य किए।
- **राज्य का पुनर्रपुष्टि आदेश:** केंद्रीय स्पष्टीकरण के बाद, तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश (GO) जारी कर अपने निर्देशों की पुष्टि की कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में 'तमिल थाई वाझथु' (Tamil Thai Vazhthu) गाया जाना चाहिए।
- **औपचारिक/समारोहिक अभ्यास:** न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'तमिल थाई वाझथु' जैसे राज्य गीतों को पहले गाया जा सकता है, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान गाया जाता है, जैसा कि आधिकारिक न्यायिक कार्यक्रमों के दौरान देखा गया है।
- **संघीय सामंजस्य:** यह फैसला औपचारिक राज्य समारोहों के दौरान राष्ट्रीय प्रतीकों को विनियमित करने वाले केंद्रीय निर्देशों का पालन करते हुए राज्य स्तरीय सांस्कृतिक स्वायत्तता को संरक्षित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं



- **राज्य गीत (तमिल थाई वाझथु):** औपचारिक राज्य समारोहों के दौरान अपनी भाषाई विरासत, सांस्कृतिक इतिहास और क्षेत्रीय पहचान को याद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया एक आधिकारिक गीत।
- **निष्फल याचिका (Infructuous Petition):** एक कानूनी कार्यवाही या रिट याचिका जिसने बाद के प्रशासनिक या विधायी घटनाक्रमों के कारण अपना व्यावहारिक उद्देश्य, उपयोगिता या कानूनी कारण खो दिया है।
- **सरकारी आदेश (Government Order - GO):** नीतिगत दिशानिर्देशों, प्रशासनिक नियमों या राज्य के औपचारिक प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एक कार्यकारी निर्देश।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51A(a):** प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जानबूझकर किए गए अनादर को रोकने के लिए वैधानिक नियम प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 162:** राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, जिसका विस्तार उन विषयों तक है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें राज्य सांस्कृतिक प्रोटोकॉल शामिल हैं।

निष्कर्ष: उच्च न्यायालय का फैसला सार्वजनिक और संवैधानिक कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उचित सम्मान बनाए रखते हुए राज्यों को क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए प्रदर्शन प्रोटोकॉल स्थापित करने का अधिकार देकर प्रशासनिक संघवाद को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता

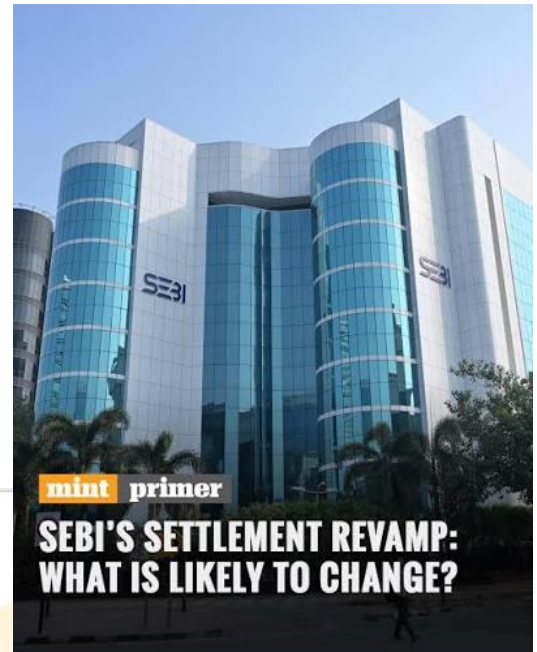
- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान-संघीय ढांचा, शक्तियों का आवंटन, राज्यों की कार्यकारी स्वायत्तता, केंद्र-राज्य संबंध और शासन व्यवस्था।
- **GS पेपर IV:** मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, लोक प्रशासन नीतिशास्त्र।

3. SEBI द्वारा निपटान विनियम ढांचे के प्रस्तावित पुनर्गठन का प्रस्ताव

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **युक्तियुक्त निपटान सूत्र:** SEBI अनुमान लगाने की क्षमता (predictability) को बढ़ाने के लिए संस्था-विशिष्ट गुणकों (entity-specific multipliers) का उपयोग करते हुए, आधार निपटान राशि को प्रतिभूति कानूनों के तहत न्यूनतम वैधानिक शास्तियों (statutory penalties) से जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
- **डिस्गॉर्जमेंट (Disgorgement) का पृथक्करण:** दोहरे आकलन से बचने के लिए आधार निपटान राशि से अनुचित लाभ या निवेशकों के नुकसान को बाहर रखा जाएगा और डिस्गॉर्जमेंट के माध्यम से उन्हें अलग से वसूल किया जाएगा।
- **संरचित ब्याज दरें:** डिस्गॉर्जमेंट ब्याज लेनदेन की तारीख से निपटान आवेदन या अंतिम आदेश तक 9% प्रति वर्ष तय किया गया है, जो उसके बाद बढ़कर 12% प्रति वर्ष हो जाएगा।

- **फास्ट-ट्रैक तंत्र:** ₹10 लाख तक की राशि वाले निपटान आवेदन उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (HPAC) को दरकिनार कर देंगे और आंतरिक समिति से सीधे पूर्णकालिक सदस्यों (Whole Time Members) के पैनल को भेजे जाएंगे।
- **विस्तारित शमन कारक (Mitigating Factors):** मूल्यांकन के दौरान विचार की जाने वाली शमन परिस्थितियों की अधिकतम संख्या तीन से बढ़कर पांच हो जाएगी, जिसमें प्रबंधन परिवर्तन जैसे कारक शामिल होंगे।
- **कारण बताओ नोटिस (SCN) से पूर्व निपटान विंडो:** संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस (अभियोजन मामलों को छोड़कर) से पहले एक निपटान नोटिस प्राप्त होगा, जो आवेदन करने और लंबी प्रवर्तन कार्यवाही से बचने के लिए 60 दिनों की अवधि प्रदान करेगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **निपटान तंत्र (Settlement Mechanism):** एक नियामक विवाद-समाधान प्रक्रिया जो संस्थाओं को मौद्रिक भुगतान या प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से दोष स्वीकार या इनकार किए बिना कथित प्रतिभूति कानून के उल्लंघनों को सुलझाने की अनुमति देती है।
- **डिस्गॉर्जमेंट (Disgorgement):** एक न्यायसंगत उपाय जिसके तहत किसी गलत कार्य करने वाले को गैर-अनुपालन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अवैध लाभ या अनुचित कमाई को आत्मसमर्पण/लौटाना पड़ता है।
- **कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice - SCN):** एक नियामक निकाय द्वारा जारी एक औपचारिक प्रशासनिक नोटिस, जिसमें किसी संस्था से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि उसके खिलाफ कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **SEBI अधिनियम, 1992 (धारा 15JB):** वैधानिक प्रावधान जो SEBI को प्रशासनिक और नागरिक प्रवर्तन कार्यवाहियों का निपटारा करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 एवं डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996:** शास्ति संरचनाओं और बाजार मध्यस्थों के अनुपालन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे।
- **SEBI (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018:** विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करने के लिए अद्यतन 2026 विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने वाला मौजूदा कानूनी ढांचा।
- **संविधान का अनुच्छेद 14:** प्रशासनिक निपटान प्रक्रियाओं में अंतर्निहित गैर-मनमानेपन, आनुपातिकता और कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत।

निष्कर्ष: प्रस्तावित ओवरहाल SEBI के प्रवर्तन दर्शन को एक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और गैर-निषेधात्मक विवाद समाधान ढांचे की ओर स्थानांतरित करता है। डिस्गॉर्जमेंट को संरक्षित करते हुए अत्यधिक वित्तीय निवारक (financial deterrents) को कम करके, इन सुधारों का उद्देश्य लंबे मुकदमेबाजी को कम करना और बाजार के विश्वास को मजबूत करना है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (SEBI), शासन सुधार, पूंजी बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार सुधार, वित्तीय मध्यस्थों का नियमन, व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business)।

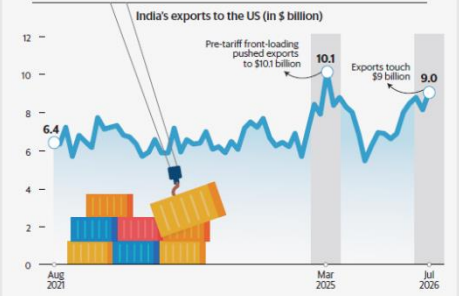
4. संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के द्विपक्षीय वस्तु निर्यात में रुझान

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **जुलाई 2026 में निर्यात में उछाल:** संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का वस्तु (मर्चेंडाइज) निर्यात जुलाई 2026 में \$9.0 बिलियन तक पहुँच गया, जो मार्च 2025 के टैरिफ-पूर्व उच्च स्तर के बाद से दर्ज किया गया उच्चतम मासिक निर्यात मूल्य है।
- **ऐतिहासिक टैरिफ-पूर्व उच्चतम स्तर:** व्यापार प्रतिबंध लागू होने से पहले आयातकों द्वारा पहले से सामान मंगाने (front-loading) के कारण, मार्च 2025 में निर्यात पहले \$10.1 बिलियन के शिखर पर पहुँच गया था।
- **वैश्विक वस्तु कीमतों की भूमिका:** विश्लेषकों का कहना है कि निर्यात मूल्य में हालिया वृद्धि निर्यात मात्रा में निरंतर सुधार के बजाय वैश्विक स्तर पर वस्तुओं (commodities) की बढ़ती कीमतों के कारण अधिक बढ़ी हो सकती है।
- **2021 के बाद की वृद्धि में उतार-चढ़ाव:** अगस्त 2021 में \$6.4 बिलियन से स्थिर वृद्धि के बाद, बदलते वैश्विक मांग, टैरिफ में बदलाव और समष्टि आर्थिक (macroeconomic) समायोजनों से प्रभावित होकर व्यापार प्रवाह में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया।
- **दीर्घकालिक सुधार पर अनिश्चितता:** अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापक वैश्विक मांग में स्थिरता के बिना भारत के निर्यात प्रक्षेपवक्र (trajectory) में संरचनात्मक बदलाव का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी।
- **रणनीतिक अमेरिका-भारत व्यापार संबंध:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सबसे बड़े एकल निर्यात गंतव्यों में से एक बना हुआ है, जिससे राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रबंधन के लिए द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ARE INDIA'S EXPORTS TO THE US TURNING A CORNER?

India's exports to the US in July 2026 reached the highest level since the pre-tariff period of March 2025. However, these figures may have been driven by rising commodity prices across the globe and it may be early to suggest a recovery.



Data: Rupanjal Chaudhary
Graphic: Deepak Mishra

Source: CMIE

आवश्यक परिभाषाएं

- **फ्रंट-लोडिंग (Front-Loading):** एक आर्थिक अभ्यास जहाँ खरीदार प्रत्याशित टैरिफ वृद्धि, नियामक परिवर्तनों या कीमतों में वृद्धि से पहले आर्डर की समय-सारणी को तेज करते हैं और सामान का समय से पहले आयात करते हैं।
- **वस्तु निर्यात (Merchandise Exports):** घरेलू स्तर पर उत्पादित और विदेशी राष्ट्रों को बेची जाने वाली भौतिक/मूर्त वस्तुएं, जिनमें सेवाएं, बौद्धिक संपदा या डिजिटल हस्तांतरण शामिल नहीं हैं।

- **व्यापार संतुलन (Trade Balance):** किसी निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच का मौद्रिक अंतर।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** प्राथमिक विधान जो भारत में आयात को सुगम बनाकर और निर्यात को बढ़ाकर विदेश व्यापार के विकास और नियमन के लिए ढांचा प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची):** संघ सूची की प्रविष्टि 41 भारत की संसद को "विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमा शुल्क सीमाओं के पार आयात और निर्यात" पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान करती है।
- **विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023:** कार्यकारी ढांचा जिसका उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार विविधीकरण को बढ़ावा देना और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करना है।

निष्कर्ष: यद्यपि जुलाई 2026 के निर्यात आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार में लचीलेपन (resilience) को दर्शाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक निर्यात वृद्धि के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वस्तु मूल्य अस्थिरता व बाह्य व्यापार नीति परिवर्तनों से जुड़े जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

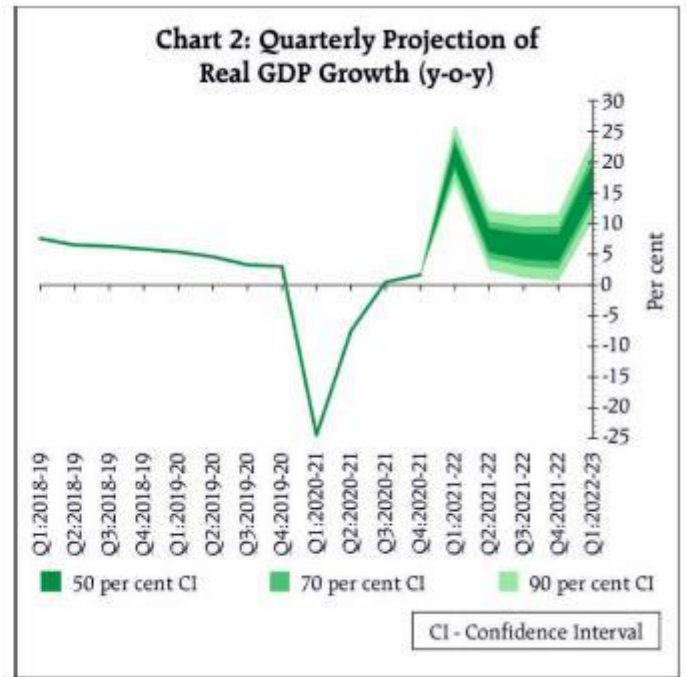
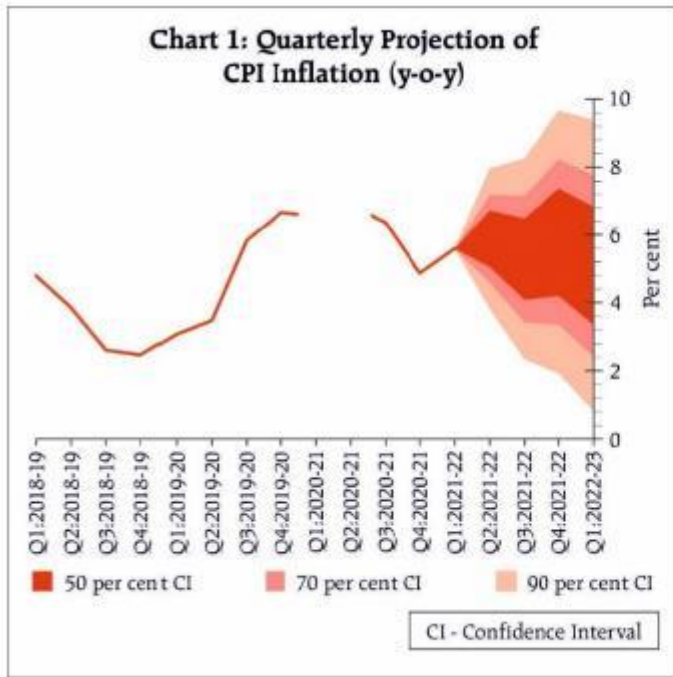
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार रुझान, निर्यात-आयात नीति, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, बाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलन।
- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, भारत-अमेरिका रणनीतिक आर्थिक भागीदारी।

5. मुद्रास्फीति का दबाव और RBI का मौद्रिक नीति रुख

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **रेपो दर यथावत:** भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से बेंचमार्क रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जिससे तटस्थ (neutral) मौद्रिक नीति रुख बना रहा।
- **खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की वस्तुओं के महंगे होने के कारण जनवरी के 2.74% से लगातार बढ़कर जुलाई में 4.45% हो गई।
- **मामूली कोर मुद्रास्फीति:** अंतर्निहित मांग गतिशीलता को दर्शाने के लिए अत्यधिक अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को छोड़कर मापी जाने वाली कोर मुद्रास्फीति जुलाई में 3.9% पर नियंत्रित रही।

- **निरंतर जोखिम कारक:** RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नोट किया कि इनपुट वस्तुओं में लगातार मूल्य दबाव व्यापक आधार वाली हेडलाइन मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो सकता है, जिसके लिए भविष्य में मौद्रिक सख्ती की आवश्यकता हो सकती है।



- **औसत मुद्रास्फीति स्तर:** हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी और जुलाई के बीच औसतन 3.93% रही, जो वैधानिक मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण सहनशीलता बैंड (tolerance band) के भीतर बनी रही।
- **डेटा-आधारित दृष्टिकोण:** केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों को पुनर्गठित करने से पहले यह देखने के लिए स्पष्ट समष्टि आर्थिक संकेतकों की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना कि मुद्रास्फीति का दबाव स्थानीयकृत रहेगा या व्यापक उपभोग श्रेणियों में फैलेगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क ब्याज दर तय करने हेतु RBI अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक 6-सदस्यीय समिति।
- **कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation):** मुद्रास्फीति का एक माप जो भोजन और ईंधन जैसे अत्यधिक अस्थिर घटकों को बाहर करता है, जो दीर्घकालिक अंतर्निहित मुद्रास्फीति रुझानों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- **रेपो दर (Repo Rate):** वह प्रमुख नीतिगत ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक तरलता को प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** मौद्रिक नीति समिति के गठन और संचालन के लिए वैधानिक जनादेश प्रदान करता है।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा:** RBI अधिनियम में 2016 के संशोधन के माध्यम से अधिनियमित, $\pm 2\%$ (2% से 6%) के स्वीकार्य सहनशीलता बैंड के साथ 4% खुदरा CPI मुद्रास्फीति का वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

- **अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची - संघ सूची):** प्रविष्टि 38 भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा, सिक्का और कानूनी निविदा से संबंधित मामलों पर संसद को विशेष विधायी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष: MPC का निर्णय आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने और आपूर्ति-पक्ष के मुद्रास्फीति झटकों को नियंत्रित करने के बीच एक सतर्क संतुलन को उजागर करता है। यदि खाद्य और ईंधन की कीमतें द्वितीयक मुद्रास्फीति प्रभावों को ट्रिगर करती हैं, तो नीतिगत सख्ती का विकल्प खुला रखते हुए दर स्थिरता बनाए रखना वित्तीय बाजार की भविष्यवाणी सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति ढांचा, RBI और मौद्रिक शासन, मुद्रास्फीति नियंत्रण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)।
- **GS पेपर II:** वैधानिक और नियामक निकाय (RBI), शासन तंत्र, समष्टि आर्थिक स्थिरता ढांचा।

6. शांति अधिनियम 2025 और भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अधिनियमन और प्रवर्तनीयता:** ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति (SHANTI) अधिनियम 20 दिसंबर 2025 को लागू हुआ, जिससे नागरिक परमाणु ऊर्जा के कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण हुआ।
- **एकल समग्र लाइसेंसिंग:** यह अधिनियम एक एकल एकीकृत लाइसेंसिंग ढांचा पेश करता है जो NTPC, अदाणी पावर और टाटा पावर जैसे निजी खिलाड़ियों को परमाणु सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और डिकमीशनिंग में सक्षम बनाता है।
- **बिजली उत्पादन से परे:** कैप्टिव बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रिया ताप (process heat), और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सहित गैर-ऊर्जा क्षेत्रों में परमाणु अनुप्रयोगों का विस्तार करता है।
- **रणनीतिक राज्य नियंत्रण:** यूरेनियम संवर्धन, भारी जल उत्पादन और प्रयुक्त ईंधन पुनर्संस्करण (spent fuel reprocessing) सहित संवेदनशील ईंधन चक्र संचालन पर विशेष सरकारी नियंत्रण बनाए रखता है।
- **उन्नत तकनीक के लिए समर्थन:** स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की घरेलू तैनाती को सुविधाजनक बनाता है, जिससे L&T और BHEL जैसे निजी इंजीनियरिंग और खरीद ठेकेदारों को आकर्षित किया जा सके।
- **कार्यान्वयन की समय-सीमा:** मसौदा SHANTI नियम, 2026 सार्वजनिक परामर्श से गुजर रहे हैं, जिसमें 12 से 18 महीने की समय-सीमा में मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) और साइट आवंटन की उम्मीद है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025:** परमाणु ऊर्जा को विनियमित करने, ऑपरेटर की देनदारियों को सुव्यवस्थित करने और नागरिक परमाणु उत्पादन में निजी प्रवेश को सक्षम करने के लिए पुराने कानूनों की जगह लेने वाला एकीकृत कानून।

- **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs):** प्रति इकाई 300 MW तक उत्पादन करने वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर, जिन्हें लचीले ग्रिड एकीकरण के लिए मॉड्यूलर कारखाने विनिर्माण का उपयोग करके बनाया गया है।
- **समग्र लाइसेंस (Composite Licence):** एक सुव्यवस्थित नियामक प्राधिकरण जो स्थल चयन, निर्माण, संचालन और डिक्मीशनिंग को एक एकीकृत अनुमोदन ढांचे में समेकित करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB):** स्वतंत्र नियामक देखरेख और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए SHANTI अधिनियम के तहत पूर्ण वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **वैधानिक निरसन (Statutory Repeals):** परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम, 2010 को प्रतिस्थापित करके विधायी ढांचे को समेकित किया गया।
- **अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची - संघ सूची):** प्रविष्टि 6 "परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन" को संसद के विशेष विधायी क्षेत्र के तहत आरक्षित करती है।
- **अपीलीय मंच:** परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना करता है, जो विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) को न्यायिक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

निष्कर्ष: SHANTI अधिनियम राज्य-एकाधिकार वाले ढांचे से एक प्रतिस्पर्धी नागरिक परमाणु ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। ईंधन आपूर्ति सुरक्षा, प्रौद्योगिकी अपनाने और कुशल प्रतिभा उपलब्धता जैसी दीर्घकालिक परिचालन चुनौतियों का समाधान भारत के शुद्ध-शून्य (Net-Zero) परिवर्तन में इसके योगदान को निर्धारित करेगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा क्षेत्र), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (परमाणु प्रौद्योगिकी), ऊर्जा सुरक्षा और नेट-ज़ीरो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य।
- **GS पेपर II:** वैधानिक और नियामक निकाय (AERB), विधायी ओवरहाल, ऊर्जा शासन में नीतिगत सुधार।

7. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बजट प्रेस का स्थानांतरण

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नई सुविधा का आवंटन:** वार्षिक केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के लिए सुरक्षित मुद्रण (प्रिंटिंग) सुविधा को मौलाना आजाद रोड स्थित निर्माणाधीन कर्तव्य भवन 9 में स्थानांतरित किया जा रहा है।
- **कर्तव्य भवन 1 की संरचनात्मक सीमाएं:** कर्तव्य भवन 1 में फर्श की भार-वहन क्षमता (load-bearing limitations) की बाधाओं के कारण पेपर-कटर और ट्रिंमर जैसी भारी पोस्ट-प्रेस मशीनों की स्थापना नहीं हो सकी, जिससे अधिक उन्नत स्थान की आवश्यकता पड़ी।

- **अंतरिम मुद्रण कार्य:** नई खरीदी गई हल्की मशीनों के तकनीकी परीक्षणों के कारण, केंद्रीय बजट 2026-2027 का मुद्रण नॉर्थ ब्लॉक परिसर में किया गया।
- **गोपनीयता की ऐतिहासिक मिसाल:** राष्ट्रपति भवन प्रेस से 1956-1957 के बजट कराधान प्रस्तावों के लीक होने के बाद समर्पित बजट प्रेस को मूल रूप से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थानांतरित किया गया था।
- **सख्त लॉक-इन प्रोटोकॉल:** प्रशासनिक सुरक्षा नियमों के तहत संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने तक शामिल अधिकारियों को बाहरी संपर्क के बिना प्रिटिंग प्रेस के अंदर बंद रहना अनिवार्य होता है।
- **बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण:** दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन द्वारा स्वीकृत CPWD की अद्यतन योजनाएं, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के साथ कार्यकारी आवास आवश्यकताओं को संतुलित करती हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बजट प्रेस (Budget Press):** वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेष, उच्च-सुरक्षा सुविधा जहाँ गोपनीय केंद्रीय बजट दस्तावेजों और आधिकारिक आर्थिक रिपोर्टों का मुद्रण किया जाता है।
- **लॉक-इन अवधि (Lock-In Period):** एक अनिवार्य संगरोध (quarantine) प्रोटोकॉल जो बजट भाषण शुरू होने तक पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अधिकारियों को मुद्रण स्थल के भीतर ही सीमित रखता है।
- **सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project):** नई दिल्ली में भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए चल रही पुनर्विकास योजना, जिसमें कर्तव्य भवन नाम के नए सचिवालय परिसर शामिल हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 112:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है।
- **शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act), 1923:** आधिकारिक रहस्यों और सरकारी गोपनीयता की रक्षा करने वाला वैधानिक ढांचा, जिसके तहत 1956 के बजट लीक जैसे अनधिकृत खुलासों पर मुकदमा चलाया जाता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 265:** यह स्थापित करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, जो विधायी प्रस्तुति से पहले कराधान प्रस्तावों की सख्त गोपनीयता की आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष: कर्तव्य भवन 9 में बजट प्रेस का स्थानांतरण संस्थागत स्मृति को संरक्षित करते हुए लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक बाधाओं को हल करता है। बुनियादी ढांचे का उन्नयन राजकोषीय नीति प्रस्तुति के लिए आवश्यक सख्त परिचालन गोपनीयता के साथ प्रशासनिक दक्षता को संतुलित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** केंद्रीय सचिवालय संगठन, शासन व्यवस्था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संस्थागत सुरक्षा अभ्यास।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रक्रिया, लोक वित्त प्रबंधन।

8. UNSC सीट के लिए भारत का फ़िलिस्तीन द्वारा समर्थन और द्विपक्षीय सहायता

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **UNSC उम्मीदवारी का समर्थन:** भारत में फ़िलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया।
- **उच्च स्तरीय कूटनीतिक यात्रा:** विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने रामल्लाह का दौरा किया और फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन से मुलाकात की, जो अक्टूबर 2023 के बाद से इस क्षेत्र की पहली उच्च स्तरीय भारतीय यात्रा है।
- **द्वि-राज्य समाधान की पुनः पुष्टि:** भारत ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए वार्ता आधारित द्वि-राज्य समाधान (two-state solution) का समर्थन करने वाले अपने निरंतर विदेश नीति रुख को दोहराया।
- **बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य देखभाल सहायता:** एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के चल रहे संचालन के साथ-साथ वेस्ट बैंक में एक नया अस्पताल बनाने की तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया।
- **गाजा को मानवीय सहायता:** भारत जॉर्डन के रास्ते भेजे जाने वाले डायलिसिस मशीनों और गाजा में अंग गंवा चुके लोगों के लिए कृत्रिम अंगों सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है।
- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** फ़िलिस्तीन ने इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंधों के माध्यम से क्षेत्रीय शांति का मध्यस्थ बनने में सक्षम एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को स्वीकार किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **UNSC गैर-स्थायी सीट (Non-Permanent UNSC Seat):** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुनी गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सीट, जो बिना वीटो पावर के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अनुसार वितरित की जाती है।
- **द्वि-राज्य समाधान (Two-State Solution):** शांति और सुरक्षा के साथ अगल-बगल रहने वाले दो स्वतंत्र राज्यों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन को स्थापित करके इज़राइल-फ़िलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रस्तावित कूटनीतिक ढांचा।

- **ग्लोबल साउथ (Global South):** मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित विकासशील, उभरते और कम आय वाले देशों के लिए एक सामूहिक शब्द, जो साझा आर्थिक और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं पर जोर देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर बढ़ाने का जनादेश देते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अध्याय V):** अनुच्छेद 23 और 27 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना, शक्तियों और चुनावी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यप्रणाली के नियम:** UNSC के गैर-स्थायी सदस्यों के चुनाव को नियंत्रित करता है, जिसके लिए UNGA में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष: फ़िलिस्तीन का समर्थन पूरे पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक सद्भावना और विश्वसनीयता को उजागर करता है। रचनात्मक संवाद के साथ विकास सहायता को जोड़कर, भारत वैश्विक सुरक्षा शासन में ग्लोबल साउथ के लिए खुद को एक प्रभावी आवाज के रूप में स्थापित करते हुए अपने रणनीतिक पदचिह्नों को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत और उसके पड़ोसी- संबंध, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNSC)।
- **GS पेपर IV:** मानवीय मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र, संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता।

9. फांसी द्वारा मृत्युदंड और गरिमा के अधिकार पर न्यायिक रुख

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **संवैधानिक वैधता बरकरार:** सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पादन (मृत्युदंड) के एक तरीके के रूप में फांसी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, और अनुच्छेद 21 के तहत इसकी संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।
- **पूर्व मिसाल का पालन:** अदालत ने दीना बनाम भारत संघ (1983) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के मिसाल पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 'लॉन्ग-ड्रॉप' विधि द्वारा फांसी देना त्वरित, निश्चित है और अन्य तरीकों की तुलना में अधिक दर्द का कारण नहीं बनता है।
- **संसदीय मंशा:** पीठ ने नोट किया कि संसद ने नव-अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 393(5) के तहत फांसी को जानबूझकर बरकरार रखा है।

- **विकासशील न्यायिक दायरा:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है, यदि सम्मोहक वैज्ञानिक, चिकित्सा या अनुभवजन्य साक्ष्य सामने आते हैं तो भविष्य की चुनौतियों के लिए गुंजाइश बनी रहेगी।



- **वैश्विक तरीकों से तुलना:** याचिकाकर्ताओं ने जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने और नाइट्रोजन हाइपोक्सिया जैसे विकल्पों पर प्रकाश डाला, लेकिन वे यह साबित करने में विफल रहे कि ये तरीके बिना किसी विफलता के जोखिम के फांसी की तुलना में विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं।
- **मृत्युदंड के आंकड़े:** भारत ने 2001 से अब तक 8 फांसी दर्ज की हैं (हाल ही में 2020 में चार दोषी), जबकि दुनिया भर के दो-तिहाई से अधिक देशों ने कानून या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **लॉन्ग-ड्रॉप फांसी (Long-Drop Hanging):** एक कैलिब्रेटेड निष्पादन तकनीक जहाँ गर्दन की हड्डी (cervical) को तुरंत तोड़ने और बेहोश करने के लिए दोषी के वजन और ऊंचाई के आधार पर ड्रॉप की लंबाई की गणना की जाती है।
- **गरिमा के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity):** अनुच्छेद 21 का एक संवैधानिक विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि यदि राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को जीवन से वंचित करता है, तो वह प्रक्रिया क्रूरता या बर्बरता से मुक्त होनी चाहिए।
- **नाइट्रोजन हाइपोक्सिया (Nitrogen Hypoxia):** एक निष्पादन विधि जिसमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस को सांस के जरिए अंदर लेना शामिल है, जो घुटन भरे डर को पैदा किए बिना दम घुटने (asphyxiation) का कारण बनता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसके अनुसार मृत्युदंड के निष्पादन की किसी भी कानूनी प्रक्रिया का निष्पक्ष, न्यायसंगत, उचित और गैर-बर्बर होना आवश्यक है।
- **BNSS, 2023 की धारा 393(5):** यह आदेश देती है कि जब मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो फैसला निर्देश देगा कि व्यक्ति को "तब तक गर्दन से लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए"।
- **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980):** भारत में मृत्युदंड लागू करने को नियंत्रित करने वाले ऐतिहासिक "दुर्लभ से दुर्लभतम मामले" (rarest of rare cases) के सिद्धांत को स्थापित किया।
- **187वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2003):** निष्पादन के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में जहरीले इंजेक्शन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की।

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विधायी प्राधिकार के प्रति न्यायिक सम्मान और मानवाधिकार जनादेश के बीच संतुलन बनाता है। वर्तमान वैज्ञानिक मानकों के आधार पर फांसी को बरकरार रखते हुए, न्यायपालिका वैज्ञानिक, चिकित्सा और प्रशासनिक मानकों के विकसित होने पर भविष्य के सुधारों की संभावना को खुला छोड़ती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान-मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21), आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, न्यायिक मिसालें, न्यायपालिका की भूमिका।
- **GS पेपर IV:** नीतिशास्त्र और मानवाधिकार, मृत्युदंड का नीतिशास्त्र, राज्य द्वारा स्वीकृत निष्पादन में नैतिक दुविधाएं।

10. जाति जनगणना में कार्यप्रणाली (Methodology) और ऐतिहासिक चुनौतियाँ

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **मुक्त (Open-Ended) कार्यप्रणाली:** भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India) ने जातियों की पूर्व निर्धारित सूची प्रदान किए बिना जनगणना में जाति गणना के लिए एक खुले प्रश्न (open-ended question) का उपयोग करने का निर्णय लिया।
- **डेटा विखंडन का जोखिम:** प्रणाली (enumerators) उत्तरदाताओं द्वारा बताए अनुसार उत्तर दर्ज करने के लिए बाध्य हैं, जिससे उपनामों या गलत वर्तनी वाले नामों को अलग-अलग जाति प्रविष्टियों के रूप में दर्ज किए जाने से व्यक्तिपरक (subjective) प्रविष्टियाँ बनती हैं।
- **अतीत के अभ्यासों की खामियां:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में खुले प्रश्नों/प्रविष्टियों के कारण 46.7 लाख से अधिक विशिष्ट जाति नाम उत्पन्न हुए, जिसने 1931 में दर्ज 4,147 जातियों की तुलना में कच्चे डेटासेट को अनुपयोगी बना दिया।
- **ऐतिहासिक मिसालें:** 1931 तक की औपनिवेशिक जनगणनाओं को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें "यादव" जैसे व्यापक शब्दों के तहत समूहों का समेकन या "आद धर्मी" जैसी नई धार्मिक पहचानों को अपनाना शामिल था।
- **विशेषज्ञों की सिफारिशें:** ICSSR के पूर्व अध्यक्ष एस.के. थोराट ने प्रशासनिक त्रुटियों को कम करने के लिए सभी श्रेणियों में एक पूर्व निर्धारित संदर्भ सूची (predetermined reference list) का उपयोग करने की वकालत की।
- **लक्षित प्रश्नावली:** विशेषज्ञों का सुझाव है कि सामाजिक पदानुक्रमों को बेहतर ढंग से दर्ज करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट बहिष्कारों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अलग प्रश्नावली होनी चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मुक्त जाति गणना (Open-Ended Caste Enumeration):** जनगणना संग्रह की एक ऐसी विधि जहाँ उत्तरदाता मानक ड्रॉपडाउन सूची या पूर्व-अनुमोदित कोड फ्रेम से चुने बिना अपनी जाति की स्वयं रिपोर्ट करते हैं।

- **पूर्व निर्धारित सूची (Predetermined List):** स्व-रिपोर्ट की गई प्रविष्टियों को सटीक रूप से वर्गीकृत करने के लिए प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जातियों की एक मानकीकृत संदर्भ रजिस्ट्री।
- **भारत के महारजिस्ट्रार (RGI):** गृह मंत्रालय के तहत एक कार्यालय जो दशकीय जनसंख्या जनगणना आयोजित करने और महत्वपूर्ण आंकड़ों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 340:** राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 341 एवं 342:** राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948:** जनसंख्या जनगणना के संचालन को नियंत्रित करने वाला और जनगणना अधिकारियों तथा उत्तरदाताओं के कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों (empirical data) की आवश्यकता पर जोर देते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निष्कर्ष: सटीक जाति गणना के लिए संरचित प्रशासनिक कार्यप्रणाली के साथ स्व-पहचान (self-identification) का संतुलन आवश्यक है। डेटा के विखंडन को रोकते हुए नीति निर्माण के लिए कच्चे सामाजिक उत्तरों को विश्वसनीय डेटा में परिवर्तित करने के लिए पूर्व निर्धारित रजिस्ट्रियों और मानकीकृत प्रोटोकॉल को लागू करना महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, शासन व्यवस्था और नीतिगत हस्तक्षेप, संवैधानिक निकाय, RGI की भूमिका।
- **GS पेपर I:** सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय समाज और जाति व्यवस्था।

11. भारत का आर्कटिक आख्यान और भू-राजनीतिक रणनीति

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **स्पष्ट आर्कटिक रणनीति की आवश्यकता:** संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भारत की बढ़ती आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं और उसकी वास्तविक परिचालन क्षमताओं के बीच बढ़ते अंतर को रेखांकित किया।
- **जलवायु सुरक्षा और टेलीकनेक्शन:** वैज्ञानिक अध्ययनों से आर्कटिक-भारतीय मानसून टेलीकनेक्शन (teleconnection) का पता चलता है, जहाँ तेजी से हो रहा आर्कटिक वार्मिंग सीधे घरेलू कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानसून गतिशीलता को परिवर्तित करता है।

- **भू-राजनीतिक और खनिज महत्व:** आर्कटिक एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जो नॉर्डर्न सी रूट जैसे शिपिंग मार्गों और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक विरासत:** भारत 1920 की स्वालबार्ड संधि (Svalbard Treaty) का एक मूल हस्ताक्षरकर्ता था, जो स्वालबार्ड द्वीपसमूह में वीजा-मुक्त पहुंच और वाणिज्यिक अधिकार प्रदान करता है।
- **संस्थागत और कूटनीतिक अंतराल:** चीन और जापान जैसे अन्य एशियाई पर्यवेक्षक राष्ट्रों के विपरीत, भारत के पास वर्तमान में ध्रुवीय कूटनीति के लिए समर्पित कोई वरिष्ठ अधिकारी या "ध्रुवीय राजदूत" (Polar Ambassador) नहीं है।
- **बुनियादी ढांचा और संसाधन घाटा:** भारत समर्पित पूंजी वित्तपोषण की कमी का सामना कर रहा है और अपने हिमाद्री स्टेशन से आगे विस्तार करने के लिए एक स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV) की प्रतीक्षा कर रहा है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मानसून टेलीकनेक्शन (Monsoon Teleconnection):** अप्रत्यक्ष मौसम संबंधी संबंध जहाँ ध्रुवीय क्रायोस्फीयर (cryospheres) में पर्यावरणीय परिवर्तन दक्षिण एशियाई दक्षिण-पश्चिम मानसून जैसे जलवायु पैटर्न को प्रभावित करते हैं।
- **स्वालबार्ड संधि (1920):** स्वालबार्ड पर नॉर्वे की संप्रभुता को मान्यता देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो हस्ताक्षरकर्ता देशों को समान गैर-भेदभावपूर्ण वाणिज्यिक और वैज्ञानिक पहुंच प्रदान करती है।
- **ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel - PRV):** ध्रुवीय महासागरों में वैज्ञानिक नेविगेशन और डेटा संग्रह के लिए डिज़ाइन की गई बर्फ तोड़ने (ice-breaking) की क्षमताओं से लैस एक विशेष पोत।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022:** अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने वाला घरेलू विधायी ढांचा, जो ध्रुवीय शासन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- **UNCLOS (1982):** समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो ध्रुवीय जल में समुद्री क्षेत्राधिकार, समुद्री तल संसाधन दोहन और नेविगेशन अधिकारों को नियंत्रित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति आदर को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष: भारत की आर्कटिक नीति 2022 को मूर्त क्षमता में बदलने के लिए संरचनात्मक, वित्तीय और कूटनीतिक अंतरालों को पाटने की आवश्यकता है। समर्पित ध्रुवीय शासन तंत्र और ध्रुवीय-सक्षम बुनियादी ढांचे की स्थापना से राष्ट्रीय जलवायु सुरक्षा की रक्षा होगी और आर्कटिक शासन में एक सक्रिय आवाज सुनिश्चित होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव (आर्कटिक परिषद), अंतर्राष्ट्रीय संधियां।

- **GS पेपर III:** पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन शमन, मानसून पैटर्न पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास।

12. लोक व्यय प्रबंधन और राज्य वित्त में राजकोषीय अनुशासन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **राजकोषीय दबाव और राजस्व अंतर:** तमिलनाडु को उच्च ऋण, राजस्व खाता घाटे और पेंशन तथा वेतन जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों (committed liabilities) द्वारा चिह्नित संरचनात्मक राजकोषीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो तत्काल कराधान के बजाय उन्नत संग्रह दक्षता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **CAG ऑडिट निष्कर्ष:** नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों ने 2023-24 में ₹33,302.53 करोड़ के शुद्ध कम खर्च (underspend) का खुलासा किया, साथ ही 26 अनुदानों में ₹1,078 करोड़ के अनावश्यक पूरक अनुदानों का पता चला जहाँ मूल धन अप्रयुक्त रहा।
- **अमिलानकृत (Unreconciled) व्यय और राजस्व:** ऑडिट आंकड़ों से पता चला कि राजस्व व्यय का 2.89% और राजस्व प्राप्तियों का 6.14% महालेखाकार के रिकॉर्ड के साथ मिलान (reconciled) नहीं हुआ था, जो लेखांकन अनुशासन में प्रणालीगत अंतरालों को दर्शाता है।
- **शून्य-आधारित बजटिंग (Zero-Based Budgeting - ZBB):** शून्य-आधारित बजटिंग को अपनाने का आदेश है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों से स्वचालित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि आवश्यकता और लागत-दक्षता के आधार पर नए सिरे से उचित ठहराया जाना चाहिए।
- **परिणाम-उन्मुख (Outcome-Oriented) व्यय:** प्रदर्शन-आधारित बजटिंग की ओर रुख करने से ध्यान वित्तीय परिव्यय (outlays) से हटकर मूर्त भौतिक मेट्रिक्स की ओर स्थानांतरित होता है, जैसे कि सड़क के प्रति किलोमीटर लागत या स्थापित घरेलू नल कनेक्शन।
- **राजस्व रिसाव (Leakage) नियंत्रण:** CAG ने 337 मामलों में ₹1,538.18 करोड़ की GST अनियमितताओं को चिह्नित किया, जो नए करों को शुरू करने से पहले अनुपालन अंतरालों को समाप्त करने और कर आधार को व्यापक बनाने की अनिवार्यता पर जोर देता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **शून्य-आधारित बजटिंग (ZBB):** एक बजट पद्धति जिसमें वृद्धिशील परिवर्तनों (incremental adjustments) पर भरोसा करने के बजाय प्रत्येक नई वित्तीय अवधि के लिए व्यय की प्रत्येक मद को शून्य आधार से न्यायसंगत ठहराने की आवश्यकता होती है।
- **प्रदर्शन-आधारित बजटिंग (Performance-Based Budgeting):** एक वित्तीय आवंटन मॉडल जो सार्वजनिक वित्तपोषण को सीधे प्रशासनिक कार्यक्रमों के मापने योग्य भौतिक परिणामों और प्रदर्शन मानदंडों से जोड़ता है।

- **खातों का मिलान (Reconciliation of Accounts):** वित्तीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के खिलाफ आधिकारिक विभाग के व्यय और राजस्व विवरणों का मिलान करने वाली एक लेखांकन प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 202:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 205:** पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान को विनियमित करता है, जिसके तहत पूरक प्रावधान केवल तभी मांगे जाने चाहिए जब प्रारंभिक विनियोग (appropriation) वास्तव में अपर्याप्त सिद्ध हों।
- **संविधान का अनुच्छेद 151:** राज्य के वित्त पर CAG ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को सौंपे जाने की आवश्यकता होती है।
- **राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम:** राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और ऋण-से-GSDP अनुपात के लिए वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

निष्कर्ष: राज्य सरकारों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार, परिणाम-आधारित बजटिंग, कठोर मिलान और GST अनुपालन रिसाव को रोकने के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने पर निर्भर करता है। समय से पहले कराधान पर व्यय के युक्तियुक्तकरण (rationalization) को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक ऋण स्थिरता को बनाए रखते हुए सार्वजनिक धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट, राजकोषीय संघवाद, लोक व्यय प्रबंधन, संसाधन जुटाना और राजस्व रिसाव।
- **GS पेपर II:** सार्वजनिक जवाबदेही में CAG की भूमिका, शासन सुधार, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।



AUGUST 20, 2026

